[1]प्ररूप सं. 36क

[नियम 47(2) *देखें*]

अपील अधिकरण को प्रत्याक्षेप के लिए ज्ञापन का प्ररूप

..... आय-कर अपील अधिकरण में

..... का प्रत्याक्षेप सं. .....

..... की अपील सं. .....

..... बनाम .....

	अपीलार्थी	प्रत्यर्थी
अपीलार्थी की निजी जानकारी	अपीलार्थी का नाम या पदनाम (यथा लागू)	
	[2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि लागू हो)	
	टैन संख्या (यदि लागू हो)	
	नोटिस भेजने हेतु पूरा पता	
	राज्य	
	पिन कोड	
	एसटीडी कोड के साथ दूरभाष सं./मोबाइल सं.	
	ई-मेल पता	
प्रत्यर्थी की निजी जानकारी	प्रत्यर्थी का नाम या पदनाम (यथा लागू)	
	[2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] (यदि लागू हो)	
	टैन संख्या (यदि लागू हो)	
	नोटिस भेजने हेतु पूरा पता	
	राज्य	
	पिन कोड	
	एसटीडी कोड के साथ दूरभाष सं./मोबाइल सं. (यदि उपलब्ध हो)	
	ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो)	

---

1. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018 द्वारा 23.10.2018 से प्रतिस्थापित।
2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अपील/प्रत्याक्षेप के ब्यौरे	1.	अधिकरण द्वारा आबंटित अपील सं., जिससे प्रत्याक्षेप संबंधित है		
	2.	वह निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में प्रत्याक्षेप का ज्ञापन किया जाता है		
	3.	वह धारा, जिसके अधीन अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया गया		
	4.	मद 1 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय		
	5.	अपील के विरुद्ध किए गए आदेश को पारित करने वाला आय-कर प्राधिकारी		
	6.	वह राज्य और जिला जिसमें अधिकारिता वाला निर्धारण अधिकारी अवस्थित है		
	7.	अपीलार्थी द्वारा अधिकरण को फाइल किए गए अपील के नोटिस की प्राप्ति की तारीख		
प्रत्याक्षेप में विवादितरकमें	8.	यदि प्रत्याक्षेप किसी निर्धारण से संबंधित हैः		
		क	मद 1 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा संगणित कुल आय	
		ख	निर्धारण में किए गए योगों या अननुज्ञातों की कुल रकम	
		ग	प्रत्याक्षेप में विवादित रकम	
	9.	यदि प्रत्याक्षेप किसी शास्ति से संबंधित हैः-		
		क.	आदेश के अनुसार अधिरोपित शास्ति की कुल रकम	
		ख	प्रत्याक्षेप में विवादित शास्ति की रकम	
	10.	यदि अपील किसी मामले से संबंधित है		
		क.	प्रत्याक्षेप में विवादित रकम	
प्रत्याक्षेप के आधार	11.	प्रत्याक्षेप के आधार		प्रत्याक्षेप के प्रत्येक आधार से संबंधित कर प्रभाव (नीचे टिप्पण देखें)
		1.		
		2.		
		3.		
			कुल कर प्रभाव (नीचे टिप्पण देखें)	
अपील फाईल करने के ब्यौरे	12.	क्या प्रत्याक्षेप फाइल करने में कोई देरी हुई है (यदि हां, तो देरी को क्षमा करने के लिए आवेदन संलग्न करें)		हां/नहीं

हस्ताक्षर (प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो) नाम : पदनाम :		हस्ताक्षर (अपीलार्थी) नाम : पदनाम :

सत्यापन के लिए प्ररूप

मैं, ... प्रत्यर्थी, यह घोषणा करता हूं कि ऊपर किया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम :

टिप्पणः

1. प्रत्याक्षेप का ज्ञापन तीन प्रतियों में होगा।
2. प्रत्याक्षेप का ज्ञापन अंग्रेजी में लेखबद्ध होगा या यदि अपील आय-कर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किसी राज्य में अवस्थित खंडपीठ में फाइल की जाती है तो प्रत्यर्थी के विकल्प पर हिंदी में होगा और बिना किसी तर्क या वर्णन के प्रत्याक्षेप के आधार संक्षेप में और विभिन्न शीर्षकों के अधीन बताए जाएंगे तथा ऐसे प्रत्याक्षेप क्रमानुसार संख्याकित किए जाएंगे।
3. अधिकरण के कार्यालय द्वारा यथा आबंटित अपील संख्या और अपील का वर्ष तथा प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त अपील के नोटिस में प्रकटन प्रत्यर्थी द्वारा भरे जाएंगे।
4. प्रत्यर्थी और अपीलार्थी की जानकारी चाहने वाले स्तंभ में सुसंगत डाटा, जैसा लागू हो, उचित ढंग से भरा जाएगा।

   दृष्टांत-उदाहरण के लिए, यथास्थिति, विभाग अपीलार्थी या प्रत्यर्थी है तो प्रत्याक्षेप फाइल करने वाले अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय से संबंधित ब्यौरे, यदि उपलब्ध हों, भरे जाएंगे।
5. इस प्ररूप को भरने के प्रयोजन के लिए 'कर प्रभाव' निर्धारित की गई कुल आय पर कर तथा वह कर जो प्रभार्य होता यदि ऐसी कुल आय उन मुद्दों के संबंध में आय की रकम द्वारा घटा दी गई होती जिनके विरुद्ध प्रत्याक्षेप फाइल करने लिए आशयित है (अर्थात् विवादित मुद्दे), जिसके अंतर्गत लागू प्रभार और उपकर भी है, के बीच अंतर के रूप में लिया जाएगाः

परंतु कर में उस पर ब्याज सम्मिलित नहीं होगा सिवाय वहां जहां स्वयं ब्याज की प्रभार्यता विवादग्रस्त और उस मामले में जहां ब्याज की प्रभार्यता विवादग्रस्त मुद्दा है वहां ब्याज की रकम कर प्रभाव होगीः

परंतु यह और कि उन मामलों में जहां वापसी हानि आय के रूप में कम या निर्धारित की जाती है, वहां का प्रभाव विवादग्रस्त मुद्दों पर कल्पित कर समेत होगाः

परंतु यह भी कि शास्ति आदेश के मामलों में कर प्रभाव अपील किए गए आदेश के विरुद्ध हटाई गई या कम की गई शास्ति की मात्रा होगाः

परंतु यह भी कि 'कुल कर प्रभाव' अवधारित करते समय आधार पर कर प्रभाव, जो सामान्य आधारों का हिस्सा बनाता है, जैसे कि जहां मामले को पुनः खोलना स्वयं चुनौती के अधीन है, पृथक् रूप से विचार नहीं किया जाएगाः

परंतु यह भी कि जहां आय की संगणना आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख या धारा 115ञग के उपबंधों के अधीन की जाती है, वहां कर प्रभाव निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा, अर्थात्ः —

(A-B) + (C-D)

जहां,

A = धारा 115ञख या धारा 115ञग (जिसे इसमें नियमित उपबंध कहा गया है) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न उपबंधों के अनुसार कर की कुल रकम है;

B = कर की कुल रकम जो प्रभार्य होती, यदि ऐसी कुल आय नियमित उपबंधों के अधीन विवादित मुद्दों की रकम द्वारा नियमित उपबंधों के अनुसार घटा कर निर्धारित की गई होती;

C = धारा 115ञख या धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर की कुल रकम;

D = कर की कुल रकम जो प्रभार्य होती, यदि धारा 115ञख या धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार निर्धारित कुल रकम, उक्त उपबंधों के अधीन विवादित मुद्दों की रकम द्वारा घटा दी गई होतीः

परंतु यह भी कि जहां विवादित मुद्दों की रकम धारा 115ञख या धारा 115ञग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तथा नियमित उपबंधों के अधीन दोनों में विचारित की जाती है, तो ऐसी रकम मद D के अधीन रकम अवधारित करते समय कर की कुल रकम से घटाई नहीं जाएगी।

7. यदि प्रदान किया गया स्थान अपर्याप्त है, तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक प्रयोग किए जा सकेंगे।